राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं संयुक्त शासन सचिव, सीएसआर

कमांक : F.31(07) आ.उ./आनि/पुरस्कार/18

दिनांक : 05.11.2020

निर्यात पुरस्कार 2020 हेतु आवेदन आमंत्रण



वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को ''राज्य निर्यात पुरस्कार योजना'' के अन्तर्गत चयन करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन कर्ता इकाई विभागीय वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in से आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर पूरी तरह भरे गए आवेदन पत्र को मय संलग्नक संबंधित जिला उद्योग केन्द्र या संयुक्त निदेशक, उद्योग (निर्यात) की ई—मेल आई.डी. indrajfo16@rajasthan.gov.in पर अथवा डाक द्वारा कार्यालय आयुक्त उद्योग को दिनांक 09.11.2020 से 30.11.2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sd.

(अर्चना सिंह) आयुक्त, उद्योग एवं संयुक्त शासन सचिव, सीएसआर

राजस्थान—सरकार उद्योग(ग्रुप–1) विभाग कमांकः ५-५ (३३) ३६००० । १०००

दिनांकः 12 3 JUL 2019

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना

(औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर)

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी आधारभूत सुविधाओं तथा नीतियों के साथ—साथ राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, व्यापारिक / निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढाने के उद्देश्य से राज्य में निर्यात पुरस्कार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

2. उद्देश्य

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

3. योजना की अवधि

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी, जिसे समीक्षा कर आगे बढाया जा सकेगा।

4. पुरस्कार एवं उसकी श्रेणियां-

निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए इन वस्तुओं / वस्तु समूहों के निर्माता / व्यापारी / निर्यातकों को पृथक—पृथक प्रदान किया जायेगाः—

क0सं0	वस्तु / वस्तु समूह		कुल चयनित किये जाने वाले निर्यातकों की । संख्या				
					On the basis of Highest Export Turnover in Particular Category	On the basis of Best Growth in exports in preceding 3 years	Total
1.	कृषि आधारित,	खाद्य	प्रसंस्करण	एवं	1	1	2



	जैविक खाद्य उत्पाद			
2.	गलीचा, दरी एवं ऊन आधारित	1	1	2
3.	स्वर्ण / रजत / प्लेटिनम / कृत्रिम	1	1	2
	आभूषण	<u> </u>		
4.	मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर	1	1	2
5.	हस्तशिल्प	1	1	2
6.	खनिज आधारित उत्पाद	1	1	2
7.	वस्त्र	1	1	2
8.	सिले-सिलाये वस्त्र	1	1	2
9.	इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्पयूटर हार्डवेयर	1	1	2
10.	अभियांत्रिकी	1	1	2
11.	रसायन, दवाईयां एवं संबद्ध उत्पाद	1	1	2
12.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/केपीओ/	1	1	2
	बीपीओ / पर्यटन / स्वास्थ्य एवं अन्य			
	सेवायें (सॉफ्टवेयर व सेवा क्षेत्र की			
	श्रेणी)			
13.	महिला उद्यमी(निर्यातक) इकाई	1	1	2
14.	विदेशी सैलानियों को काउंटर बिकी	1	1	2
15.	विविध (चर्म, मेटल एवं अन्य उत्पाद,	2	2	4
	जोकि उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं हो)			
	Total	16	16	32

उक्त के अतिरिक्त प्रतिवर्ष एक इकाई को Life Time Achievement Export Ratna Award से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार Life Time Achievement Export Ratna Award सिंहत प्रति वर्ष चयनित इकाईयों की कुल संख्या 33 होगी।

इनके लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे-

- I. एक बार पुरस्कृत इकाई आगामी 2 वर्षों के लिए इस योजना में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- II. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) अथवा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एक बार प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई भविष्य में इस योजनान्तर्गत किसी भी वर्ग में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी ।
- III. चयनित इकाईयों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएगें।
- IV. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे—



राज्य से निर्यात संवर्धन में अपनी सहमागिता एवं राज्य के औद्योगिक विकास में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली औद्योगिक निर्यातक इकाईयों को विशेष रूप से सम्मानित किये जाने के लिए नई पुरस्कार श्रेणी— जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) का गठन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली केवल एक निर्यातक औद्योगिक इकाई पात्र होगी:—

- 1. निर्यातक औद्योगिक इकाई विगत 15 वर्षी से निरन्तर उत्पादनरत् हो।
- 2. इकाई द्वारा विगत 12 वर्षों से निरन्तर निर्यात किया जा रहा हो।
- 3. इकाई के निर्यात में विगत 3 वर्षों से निरन्तर वृद्धि दर्ज हो रही हो।
- इकाई द्वारा विगत 5 वर्षों में निरन्तर 500 अथवा अधिक व्यक्तिओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
- 5. निर्यातक औद्योगिक इकाई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं या भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन परिषदों/बोर्ड/प्राधिकरण से कम से कम 2 निर्यात पुरस्कार प्राप्त हों।
- 6. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत कुल 10 करोड़ रूपये अथवा अधिक का व्यय/योगदान प्रदान किया हुआ हो।
- 7. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत 3 वर्षों में कम से कम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपये का निर्यात किया हो।

जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए एक वर्ष में एक से अधिक पात्र इकाईयां होने पर जिस इकाई की उत्पादन तिथि सबसे पुरानी होगी, वही पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

5. योजना में पात्रता की शर्तें

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक / व्यापारिक / निर्यातक इकाइयों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले निर्यातक लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे :-

- 1. इस योजना के लागू होने से पूर्व विगत 2 वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना में लाभान्वित हो चुकी इकाई वित्तीय वर्ष 2019—2020 में इस योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
- 2. इस योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकाई आगामी 2 वित्तीय वर्ष तक इस योजनान्तर्गत पुनः पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- 3. इकाई / इकाई के भागीदार, स्वामी, निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है / अन्य प्रकरण में शास्ति होने पर इकाई को पात्र नहीं माना जायेगा। इकाई को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।



- 4. पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 10 करोड़ रू० से कम मूल्य का निर्यात करने वाली इकाई योजना में अपात्र होगी।
- 5. काउन्टर सेल टू टूरिस्ट वर्ग में ऐसी इकाइयाँ लाभान्वित हो सकेगी जोिक पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 5 करोड़ रूपये से अधिक की विदेश मुद्रा का व्यापार करती हो।
- 6. **पुरस्कार चयन हेतु मापदंड** पुरस्कार चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :--

S.No.	Sub-Category		<u> </u>		Methodology	
1.	Highest Export	वर्ष)	प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी कर संबंधित केटेगिरी में संबंधित वर्ष (अवार्ड वर्ष) में अधिकतम निर्यात करने वाली इकाई का समिति द्वारा चयन किया । जाएगा।			
2.	Best Growth	इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से गत तीन वर्षों में से उ ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना क केटेगरी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली इकाई/आ किया जायेगा— कि. मानदण्ड कुल अंकों का वितरण का आधार स. बिन्दु अंक			ते हुए संबंधित	
	पुरस्कार वर्ष में पिछले	50	25% तक वृद्धि होने पर 25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	10 अंक 20 अंक		
İ			वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।		50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक 40 अंक
					75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	40 अक 50 अंक
<u> </u> 			<u> </u>	!	100 %से अधिक वृद्धि होने पर	
		2. निर्यात । पुरस्कार से पिछले वर्ष		50	25% तक वृद्धि होने पर 25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	10 अंक 20 अंक
]] [में उससे पहले के	!	50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक
	वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	i İ	75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	40 अंक		
				ļ	100 %से अधिक वृद्धि होने पर	50 अंक
		युल	` अंक <u> </u>	100		
3.	Lifetime Achievement				स्तुत आंकडों के विश्लेषण के उप	रान्त इस वर्ग
	Award	म स	वसम्मात स एव	० इका	ई के चयन का अधिकार होगा।	

7. निर्यात पुरस्कार निर्घारण समिति

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पुरस्कार हेतु पात्र इकाईयों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा : —

1,	अतिरिक्त / प्रमुख / शासन सचिव, उद्योग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, उद्योग	सदस्य
3.	सीएमडी / एमडी, रीको	सदस्य
4.	सीएमडी / एमडी, राज. लघु उद्योग निगम	सदस्य
	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, जयपुर	सदस्य
	क्षेत्रीय निदेशक / प्रबन्धक,जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
	क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईपीसी फॉर हैण्डीकाफट	सदस्य
	क्षेत्रीय निदेशक / प्रबन्धक एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोटर्स	सदस्य
10.	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान हैण्डीकाफ्ट एक्सपोटर्स	सदस्य
	अध्यक्ष, कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री	सदस्य
12.	अध्यक्ष, राजरथान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड०, जयपुर	सदस्य
13.	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड0, जयपुर	सदस्य
14.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (वरिष्ठतम)	सदस्य सचिव

नोट:-

- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद (राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) के गठन की रिथित में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनके सुझावों के अनुरूप वांछित संशोधन किया जा सकेगा।
- 2. औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

8. समिति का कार्य क्षेत्र

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाईयों का चयन करेगी। समिति के पास यह अधिकार होगा कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तु समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उस वर्ग में निर्धारित पुरस्कार संख्या से अधिक है और अन्य किसी वर्ग में आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले वर्ग में पुरस्कारों की संख्या बढा सकेगी, जो प्रतिवर्ष कुल 33 अवार्ड से अधिक नहीं होगी।

9. आवेदन पत्र आमंत्रण एवं पुरस्कार समयावधि

उपरोक्त पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर अथवा विज्ञापन प्रसारित कर, आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विज्ञापन जारी होने की सूचना संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, निर्यातक ऐसोसियेशन्स को भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक निर्यातक इकाई



अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों अथवा कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करेगी।

चूंकि इकाईयों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार के आयकर विभाग/कंपनी रिजस्ट्रार विवरणी प्रतिवर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर तक भरने का प्रावधान है, इसलिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन पंत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत माह नवम्बर या दिसम्बर में आमन्त्रित किये जायेंगे एवं माह मार्च तक सभी चयनित इकाईयों को राज्य स्तरीय समारोह मे पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

10. योजना का प्रशासनिक विभाग

राज्य सरकार का उद्योग (ग्रुप-1) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा एवं योजना में संशोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होगा।

> (नीतू बारूपाल) उप शासन संचिव, उद्योग

कमांकः प. 5 (33) उच्चाज | I | 2019

दिनांकः 2 3/07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
- 3. जिला उद्योग केन्द्र, (समस्त) उपकेन्द्र (समस्त)
- उद्योग (पीपीसी) विभाग।
- 5. रक्षित पंत्रावली।

उप शासन प्रविव, उद्योग

0/

Government of Rajasthan Department of Industries

Application for Rajasthan State Export Award - 2020

Applicant Unit's Category	
 Applicant Unit's Category ○ Counter Sale to Foreign Tourists (Sale against foreign currency should be more than Rs. 5.00 crore in financial year 2019-20) ○ Other Categories (Export more than FoB Rs. 10.00 crore in financial year 2019-20) 	Yes/No Category related to Applicant (Tick Mark on the left side) • Agro Based, Food Processing and Organic Food Products • Carpets, Durries & Woollen Based • Gold/Silver/Platinum/Artificial Jewellery • Precious & Semi Precious Stones • Handicrafts • Mineral Based Products • Textiles
O. Lifetima Achievement	 Readymade Garments Electronics & Computer Hardware Engineering Chemical, Pharmaceuticals & Allied Products Computer Software, KPO/BPO/Tourism/Medical & Other Services Women Entrepreneur (Exporter) Miscellaneous (Leather, Metal & Other Products, which are not included above categories)
Lifetime Achievement	Yes/No
Applicant Unit's Sub-Category	
Highest Growth	Yes/No
Highest Export Turnover	Yes/No

A.	Details of Applicant Unit	
1.	Name of the Applicant Unit	
2.	Unit	Address
		Phone with STD Code
		Mobile Number
		Email ID
3.	Office	Address
3.	Office	Address
		Phone with STD Code
		Mobile Number
		Woone Number
		Email ID
В.	Registration details of	
ъ.	Applicant Unit	
1.	UAM/EM-II No. (In case MSME)	
2.	IE Code No.	
3.	RCMC No.	
	(In case unit is registered with more than one EPC give	
	RCMC No. of all)	
C.	Other Information	
1.	Export Turnover (In crore Rs.) (FoB)	

	2017-18				
	2018-19				
	2019-20				
2.	Main item exported during 2019-20				
3.	Country to which items exported in 2019-20				
4.	Production (in Crore Rs.)				
	2017-18				
	2018-19				
	2019-20				
5.	Quality Certification (If have, give details)				
D.	Enclosures				
1.	CA Certificate for FoB value of Exports in Crore Rs. during the years 2017-18, 2018-19, 2019-20				
2.	CA Certificate for production during the years 2017-18, 2018-19, 2019-20 (in Crore Rs.)				
3.	UAM/EM-II (in case MSME)				
4.	IE Code Certificate				
5.	Registration-cum-Membership Certificate (RCMC)				
6.	CA Certificate for Women's Equity (if the firm is applying in Women category)				
7.	Declaration on Rs. 100/- Stamp Paper (see Para No. 5(3) of the Scheme)				

DECLARATION

We hereby certify that the information furnished in this form is authentic and correct and we shall abide by the decision of the Commissioner of Industries & Secretary CSR, Rajasthan, Jaipur.

Signature

Name

Designation

Name of the firm (with rubber stamps)

C1	For Lifetime Achievement Award				
S. No.	Particulars	Entri	es (to be filled by	Applicant)	
1.	Date of Start of Production				
2.	Whether the applicant unit is in continuously	Yes / No	If Yes, then fill up th	ne following table:	
	in operation for last 15 financial year	100,110	Financial Year	Production (In Crore Rs.)	
			2005-06		
			2006-07		
			2007-08		
			2008-09		
			2009-10		
			2010-11		
			2011-12		
			2012-13		
			2013-14		
			2014-15		
			2015-16		
			2016-17		
			2017-18		
			2018-19		
			2019-20		
			Total		
3.	Whether the applicant unit has been exporting	Yes / No	If Yes, then fill up th	ne following table:	
	for last 12 financial years	1037110	Financial Year	Export-FoB (In Crore Rs.)	
			2008-09		
			2009-10		
			2010-11		
			2011-12		
			2012-13		
			2013-14		
			2014-15		
			2015-16		
			2016-17		
			2017-18		
			2018-19		
			2019-20		
			Total		

4.	Whether applicant unit has registered continuous growth in exports in last three consequent financial years	Yes / No		
5.	Whether employment (Direct and Indirect) over 500 numbers has been provided by Unit	Yes / No	Financial Year 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	Direct & Indirect Employment
6.	Applicant unit is two time recipient of International/ National/State Export Awards by Government of India, Government of Rajasthan or EPC/Board/any Statutory Authorities	Yes / No	If Yes, then enclose	ecertificates
7.	Whether the applicant unit has incurred expenses of total Rs. 10.00 crore in CSR activities in last 3 financial years	Yes / No	Financial Year 2017-18 2018-19 2019-20 Total	In Cr. Rs. (CSR Expenditure)
8.	Whether the applicant unit has exported goods/services of Rs. 100.00 crore every year in last three years.	Yes / No	Financial Year 2017-18 2018-19 2019-20	In Cr. Rs.

D1.	Enclo	sures			
1.		Certificate nancial y	e for product ears	ion for last	Enclose
2.	CA Certificate for FoB export (in Crore Rs.) for last 12 financial years				Enclose
3.	Export Award Certificate S. Year Award Awards No. Level received from		received	Enclose	
4.	CA Certificate for expenditure in CSR activities for last 3 years				Enclose
5.			n Rs. 100/- st 5(3) of the sc	1 1 1	Enclose

DECLARATION

We hereby certify that the information furnished in this form is authentic and correct and we shall abide by the decision of the Commissioner of Industries & Secretary CSR, Rajasthan, Jaipur.

Signature

Name

Designation

Name of the firm (with rubber stamps)

Note:- After Filling of Application it will be Scanned and E-mailed to respective DIC (District Industries Centre) or Joint Director, Industries (Exports) on indrajfo16@rajasthan.gov.in with all enclosures stated above in PDF Format. (List of DICs and their E-Mail I.D.s is Annexed With Application Form.)